

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 77 / 2015

दायर दिनांक 22.07.2015

बाबरू	उनवान	जीतु
	बनाम	

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 18.12.2019

—:निर्णय:—

पतरावली पेश हुई वकिल वादी हाजिर मूल वाद पत्र विडरो किये जाने से पार्थना पत्र में कोई करवाई शेष नहीं रह जाती इसलिए प्राथना पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्राप किया जाता है अत -पतरावली फैसल होकर नम्बर से कम है



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

